न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या – 09/2021 **पीठासीन अधिकारी – अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)**

अनवान

1 दयाराम पिता छोगा चमार उम्र वयस्क निवासी माताजी मोहल्ला, कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.

बनाम ————————(प्रार्थी)

1 अनवर पिता उमराव नीलगर उम्र वयस्क निवासी गुर्जर मोहल्ला, कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
2 गोपाल पिता छीतर बैरवा उम्र वयस्क निवासी माताजी मोहल्ला, कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
3 लादी पुत्री बक्शा बैरवा उम्र वयस्क निवासी माताजी मोहल्ला, कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
4 रामसुख पिता हमीरा बैरवा उम्र वयस्क निवासी माताजी मोहल्ला, कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
5 नारायण पिता प्रताप बैरवा उम्र वयस्क निवासी माताजी मोहल्ला, कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
6 घीसू पिता मोडू बैरवा उम्र वयस्क निवासी माताजी मोहल्ला, कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
7 बीरम पिता पांचू रेगर उम्र वयस्क निवासी माताजी मोहल्ला, कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
8 माधु पिता केलू रेगर उम्र वयस्क निवासी माताजी मोहल्ला, कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
9 सांवरा पिता रामा बैरवा उम्र वयस्क निवासी माताजी मोहल्ला, कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
10 उगमी पुत्री चन्द्रा उर्फ रामचन्द्र चमार उम्र वयस्क निवासी माताजी मोहल्ला, कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
11 रामू पुत्री चन्द्रा रामचन्द्र चमार उम्र वयस्क निवासी माताजी मोहल्ला, कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा राज.
12 तहसीलदार (भूमिधारी) फुलियाकलां जिला भीलवाडा ————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता– श्री शिवराज शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

दिनांक – 24.03.2021

निर्णय

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 18.01.2021 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम कोठिया पटवार मण्डल कोठिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 76 के **आ.न. 201, 212, 2504, 4456/2498, 4458/2501, 4502/2502 किता 6 रकबा 1.08 हैक्टयर, भूमि** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 19.01.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई दिनांक [illegible].2021 पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीया को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से प्रार्थी खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.03.31 16:32:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलाँ (भीलवाड़ा) राज

Scanned with CamScanner

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम कोठिया पटवार मण्डल कोठिया भू. अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 76 के **आ.न. 201, 212, 2504, 4456/2498, 4458/2501, 4502/2502 किता 6 रकबा 1.08 हैक्टयर,** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकंला, जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां (भीलवाड़ा) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.03.31 16:32:09 IST
Reason: SelfAttested

-------page 2

Scanned with CamScanner